FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम– 26)

अज अदालत– अपर जिला कलक्टर, मुकाम– नागौर

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 बाबूराम पुत्र बींजाराम 3 मंगाराम पुत्र बींजाराम 3 मोडाराम पुत्र बुद्धाराम 4 रूपाराम पुत्र बुद्धाराम 5 पदमा पत्नी बुद्धाराम जातियान जाट निवासी जसवन्तनगर तहसील खींवसर जिला नागौर।		1 हनुमानराम पुत्र नवलाराम जाति जाट निवासी जसवन्तनगर तहसील खींवसर जिला नागौर। 2 तहसीलदार खींवसर।

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र नं. 186 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही तय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकान जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1.12.23	वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थीगण ने तहसीलदार खींवसर द्वारा मौजा जसवन्तनगर से संबंधित आदेश क्रमांक राजस्व/2023/750 दिनांक 07.11.2023 से असन्तुष्ट होकर अपील अधीन धारा 225 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के साथ यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण ने तहसीलदार खींवसर के आदेश क्रमांक राजस्व/2023/750 दिनांक 07.11.2023 की पालना स्थगित करने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो। तत्पश्चात स्थगन आवदेन पत्र पर वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर उनकी एक पक्षीय बहस सुनी गई, तथा अपनी बहस के समर्थन में आरआरटी 2019(2) पेज 860 से 862, आरआरडी 1979 पेज 99 से 102 तथा आरआरडी 1979 पेज 113 से 115 नजीरे पेश की। प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र माकूल आधारों पर प्रतीत होता है। अतः आदेश है कि आदेश जैर अपील के तहत आदेश क्रमांक राजस्व/2023/750 दिनांक 07.11.2023 से संबंधित भूमि मौजा जसवन्तनगर के खसरा नं. 114 भूमि के संबंध मे आगामी पेशी तक आराजी भूमि की मौका व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। पालना जारी हो। पत्रावली दिनांक 11.12.2023 को पेश हो। अपर जिला कलक्टर नागौर	1096 1.12 1.12.23
11.12.23	वकील प्रार्थीगण उप. / अप्रार्थीगण के नोटिस पेश होने पर तलबी जारी हो। पूर्व आदेश की अवधि अग्रिम पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली दि. 21.12.23 को पेश हो। अपर कलक्टर, नागौर	
21.12.23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण के प्रा. पत्र के Not Press किया है अतः प्रार्थीगण के प्रा. पत्र Not Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली के साथ शुरुआत की तारीख से कम होकर शामिल दफ्तर हो। अपर कलक्टर, नागौर	